उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–22/2017–18

जयकान्त यादव

बनाम्

झारखण्ड सरकार

–: आदेश :–

दिनांक

14.08.17

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता जयकांत यादव, पे0–चतुरी यादव, सा0–बोहरा, अंचल–पोड़ैयाहाट, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–29/2013–14 आदेश दिनांक –11.04.2017 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने आर0ई0आर0 केश नं0–29/2013–14 के आदेश दिनांक–11.04.17 के द्वारा अपीलकर्त्ता को मौजा–परसोती जमाबंदी सं0–35 दाग नं0–655 रकवा 00–07–14 धुर जमीन से संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत उच्छेद किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तरवादी ने निम्न न्यायालय में आवेदन पत्र दाखिल किया था कि मौजा–परसोती जमाबंदी सं0–35 दाग नं0–655 रकवा 00–07–14 धुर जमीन कृषि योग्य जमीन है एवं कृषि योग्य जमीन होने के कारण किसी को हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है। अपीलकर्त्ता का स्वामित्व एवं दखल कब्जा अवैध एवं अनाधिकृत है। अपीलकर्त्ता के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 का उल्लंघन किया गया है। उत्तरवादी के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत अपीलकर्त्ता को उक्त जमीन से उच्छेद करने के लिए अनुरोध किया गया। अपीलकर्त्ता की ओर से निम्न न्यायालय में कारण–पृच्छा दाखिल कर दावा किया गया कि उक्त जमीन बड़का सोरेन द्वारा लोहिया विकलांग सेवा समिति को दान में दिया गया है। उक्त जमीन गत सर्वे सेटलमेंट के अनुसार गड़िया की जमीन है और उक्त जमीन चारों ओर से परती कदीम जमीन से घिरा हुआ है। उक्त गड़िया की जमीन बंजर भूमि में परिवर्तित होने

के कारण उक्त जमीन कृषि योग्य जमीन नहीं रह गया था। उनका आगे कथन है कि उक्त लोहिया विकलांग समिति निबंधन कानून के तहत विहार सरकार द्वारा निबंधित है और समिति द्वारा सेवा कार्य उक्त जमीन पर किया जाता है। उक्त पर लोहिया विकलांग सेवा समिति का भवन बना हुआ है और अपीलकर्त्ता के साथ दिव्यांग एवं अनाथ विद्यार्थी उस जमीन पर निर्मित मकान में रहकर शांति ढंग से पढ़ाई करते आ रहें हैं। अपीलकर्त्ता के द्वारा नीजि उपयोग हेतु उक्त जमीन का उपयोग नहीं कर रहें हैं। 12 वर्ष पूर्व अंचल अधिकारी, गोड्डा के द्वारा भी जाँच किया था एवं सही पाया था। उनका आगे कथन है कि जमाबंदी रैयत के अन्य वारिश भी हैं लेकिन उत्तरवादी धर्मेन्द्र सोरेन को छोड़कर अन्य किसी फरिकेन को कोई आपत्ति नहीं है। उत्तरवादी के द्वारा अवैध मौद्रिक लाभ के लिए हमेशा अपीलकर्त्ता से पैसे का माँग करते रहते हैं। उत्तरवादी के आवेदन पर ही निम्न न्यायालय के द्वारा तथ्यों का जाँच किये बिना ही अपीलकर्त्ता को उक्त जमीन से संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत उच्छेद किया है। इसलिए निम्न न्यायालय का आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलकर्त्ता के द्वारा लाया गया वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया चलने योग्य नहीं है। क्योंकि वर्तमान अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पारित आदेश दिनांक–11.04.17 के आदेश के विरूद्ध दायर नहीं किया गया है। बल्कि दखल दिहानी केश नं0–6/2017–18 के आदेश को चुनौती दी गई है। जिसके द्वारा अंचल अधिकारी, गोड्डा ने दखल दिहानी के लिए अपीलकर्त्ता को ज्ञापांक–347 दिनांक–18.05.18 एवं दिनांक–20.12.17 के द्वारा नोटिश दिया गया था। अपीलकर्त्ता को नोटिश देने के बाद अपीलकर्त्ता द्वारा आवेदन दायर किया गया एवं प्रक्रिया को स्थगित रखने के लिए अनुरोध किया गया। धर्मेन्द्र सोरेन की अनुपस्थिति में जो उक्त नोटिश के प्रथम पक्षकार थे, प्रक्रिया पर रोक लगा दी गयी। बाद में धर्मेन्द्र सोरेन के उपस्थित होने पर दखल दिहानी की प्रक्रिया को चालू किया गया और प्रक्रिया के चालू रहते हुए ही वर्तमान अपील वाद दायर किया गया है। उनका आगे कथन है कि

आर0ई0आर0 केश नं0–29/13–14 में अपीलकर्त्ता विपक्षी पक्षकार थे और उनके द्वारा उक्त आर0ई0आर0 वाद में अपना कारण–पृच्छा दाखिल किया गया था। इसलिए उनको प्रक्रिया का पूर्ण जानकारी था। निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक–11.04.17 को आदेश पारित किया गया है एवं अपील आवेदन दिनांक–07.06.18 को दायर किया गया है। लेकिन अपीलकर्त्ता का कहना है कि अपीलकर्त्ता को उच्छेदी आदेश का जानकारी नहीं था। उनका यह कथन सिर्फ लिमिटेशन को छिपाने के लिए कहा गया है। क्योंकि वर्तमान अपील वाद पूर्ण रूप से काल बाधित है और लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत काल अवधि को क्षान्त करने के लिए अपीलकर्त्ता के द्वारा कोई आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। इसलिए भी अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन खारिज होने लायक है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता को गड़िया की जमीन के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि गड़िया की जमीन पूर्ण रूप से कृषि योग्य जमीन है। गड़िया की जमीन से खेती कार्य के लिए सिचांई का कार्य किया जाता है। इसलिए गड़िया की जमीन कृषि योग्य जमीन है। उनका आगे कथन है कि मौजा–परसोती नं0–49 के जमाबंदी सं0–35 में कुल रकवा 28–10–18 धुर जमीन है, जिसमें से दाग नं0–655 रकवा 00–07–14 धुर जमीन गड़िया की जमीन है और उक्त जमीन पर अवस्थित गड़िया से जमाबंदी सं0–35 के सम्पूर्ण जमीन का पटवन होता है। लेकिन उक्त जमीन अपीलकर्त्ता के द्वारा कब्जा किये जाने के कारण जमाबंदी के अन्य जमीन का पटवन नहीं हो पाता है। संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 35 एवं 36 से भी गड़िया के महत्व को समझा जा सकता है। उनका आगे कथन है कि गड़िया की जमीन संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 के प्रावधान के अनुसार अहस्तान्तरणीय और उस जमीन पर स्कूल भवन बनाने का अनुमति नहीं दिया जा सकता है। अपीलकर्त्ता का दावा है कि उक्त जमीन पर विकलांग स्कूल का भवन निर्मित है। इस प्रकार अपीलकर्त्ता के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 का उल्लंघन किया गया है। अपीलकर्त्ता के द्वारा गरीब आदिवासी की जमीन को कब्जा करने के लिए षड़यंत्र किया गया है। अपीलकर्त्ता के द्वारा सोसायटी एक्ट के निबंधित कागजात भी कभी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया

है। अपीलकर्त्ता का सारा दावा अवैध एवं गलत ब्यान पर आधारित है। अपीलकर्त्ता के दावा पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। उन्होंने अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के पत्रांक–454/रा0 दिनांक–30.07.19 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–परसोती थाना नं0–49 जमाबंदी नं0–35 के अन्तर्गत दाग नं0–655 रकवा 00–07–14 धुर भूमि किस्म गड़िया जमाबंदी रैयत धनुका सोरेन वल्द भगन सोरेन शौताल साकिन देह के नाम से खतियान में दर्ज है। उक्त दाग नं0–655 से सटे अनाबादी खाता नं0–86 दाग नं0–975 एवं दाग नं0–654 किस्म भूमि गौचर कहकर खतियान में दर्ज है। जमाबंदी नं0–35 दाग नं0–655 रकवा 00–07–14 धुर एवं अनाबादी खाता नं0–86 के दाग नं0–975 एवं 654 के आंशिक भाग पर वर्तमान में मुकबधिर एवं मानसिक मंद आवासीय विद्यालय रिसोर्स सेन्टर परसोती, गोड्डा का विद्यालय भवन निर्मित है। अपीलकर्त्ता जयकांत यादव मुकबधिर विद्यालय के शिक्षक है।

विज्ञ सहायक सरकारी वकील का मंतव्य है कि अंचल अधिकारी के द्वारा भतडीहा अवस्थित समिति के कार्यालय के संबंध में एक प्रमाण पत्र दिया है। उनका आगे मंतव्य है कि अपीलकर्त्ता द्वारा मौजा–परसोती के जमाबंदी सं0–35 के अंदर दाग नं0–655 का रकवा 24 डिसमल जमीन जमाबंदी रैयत के वंशज बड़का सोरेन से प्राप्त करने का दावा किया है। लेकिन निम्न न्यायालय में जमाबंदी रैयत के अन्य वारिशान के द्वारा कोई आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। सिर्फ धर्मेन्द्र सोरेन के द्वारा निम्न न्यायालय में आवेदन किया गया है। लेकिन धर्मेन्द्र सोरेन की ओर से सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कोई भी वंशावली प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया गया है जो उच्छेदी की प्रक्रिया में आवश्यक है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों, जाँच प्रतिवेदन एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट होता है कि मौजा–परसोती थाना नं0–49 जमाबंदी सं0–35 के अन्तर्गत दाग नं0–655 रकवा 00–07–14 धुर जमीन किस्म गड़िया जमाबंदी रैयत धनुका सोरेन वल्द भवन सोरेन के नाम से गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। उक्त जमीन पर वर्तमान में मुकबधिर एवं मानसिक

मंद विद्यालय रिसोर्स सेन्टर परसोती, गोड्डा का विद्यालय भवन निर्मित है एवं अपीलकर्त्ता उक्त विद्यालय के शिक्षक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता द्वारा उक्त जमीन नीज उपयोग के लिए दखल नहीं किया गया है। आवेदन भी सिर्फ उत्तरवादी के द्वारा दिया गया है। जमाबंदी रैयत के अन्य वारिशान के द्वारा न तो निम्न न्यायालय में और न ही वर्तमान अपील वाद में आवेदन दाखिल किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अन्य फरिकैन को कोई आपत्ति नहीं है। सुनवाई के क्रम में पूछने पर उत्तरवादी धर्मेन्द्र सोरेन के द्वारा बताया गया कि उक्त जमीन उनके पिता जो स्वयं विकलांग थे, ने मूकवधिर एवं मानसिक मंद के लिए विद्यालय चलाने के लिए उक्त जमीन समिति को दान में दिया था और वर्तमान में मूकवधिर एवं मानसिक मंद विद्यालय भवन अवस्थित है। उत्तरवादी ने उपरोक्त तथ्य को इन्कार नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि उत्तरवादी के पिता जो स्वयं इस मुकवधिर एवं मानसिक मंद विद्यालय के लिए जमीन दान में दिये थे। अतएव निम्न न्यायालय इस तथ्य को उजागर करने में समक्ष नहीं रहें हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–29/13–14 में दिनांक–17.04.17 के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

14/08/17

उपायुक्त,
गोड्डा।

14/08/17

उपायुक्त,
गोड्डा।

16/8/2021

152
13/9/21

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 17:14:16 +05:30
Location: 192.168.29.8